

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

विज्ञापन संख्या : राम/भूआ/परीक्षा/प-247/13/ 2477

दिनांक : 19-2-2013

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा – 2013

राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत पटवार भर्ती के प्रयोजनार्थ जिला कलेक्टर्स / उपनिवेशन विभाग द्वारा सूचित किये गये पटवारी के 2271 पदों पर भर्ती के लिए चयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक जिस जिले में /विभाग में नियुक्ति का इच्छुक हो उसी जिला कलेक्टर कार्यालय में /विभाग में आवेदन पत्र पूर्ति उपरान्त प्रस्तुत करें। जिस जिला कलेक्टर/विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसी जिले में परीक्षा का केन्द्र आवंटित किया जावेगा व उसी जिले में नियुक्ति का पात्र होगा। आवेदक की पात्रता पर विचार उसी जिले के लिये किया जायेगा जहाँ से उसने परीक्षा दी है।

1. पदों का विवरण :-

क्र.सं.	नाम जिला	भरे जाने वाले कुल पद
1	2	3
1	अजमेर	77
2	अलवर	80
3	बांसवाड़ा	109
4	बारां	22
5	बाड़मेर	138
6	भरतपुर	154
7	भीलवाड़ा	99
8	बीकानेर	22
9	बून्दी	72
10	चित्तोड़गढ़	67
11	चूरू	46
12	दौसा	39
13	धौलपुर	35
14	झूंगरपुर	91
15	हनुमानगढ़	59
16	जयपुर	53
17	जैसलमेर	48

क्र.सं.	नाम जिला	भरे जाने वाले कुल पद
1	2	3
18	जालौर	55
19	झालावाड़	48
20	झुन्झुनू	96
21	जोधपुर	62
22	कोटा	36
23	करौली	37
24	नागौर	80
25	पाली	72
26	प्रतापगढ़	69
27	राजसमंद	57
28	सराईमाधोपुर	47
29	श्रीगंगानगर	46
30	सीकर	126
31	सिरोही	49
32	टोंक	18
33	उदयपुर	148
34	उपनि. विभाग	14

- नोट :-** (क) उपरोक्त पदों का वर्गवार वर्गीकरण राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा। जिसकी सूचना यथासमय दी जायेगी।
 (ख) उक्त रिक्तियों पर अभ्यार्थी का चयन जिलेवार संबंधित जिला कलेक्टर/आयुक्त उपनिवेशन विभाग द्वारा किया जावेगा।
 (ग) राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 273 (4)(iv) के अनुसार पटवारी के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि पटवारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। उपरोक्त के अलावा अधिसूचना क्रमांक प-14(18)डीओपी/ए-II/96 पार्ट दिनांक 10-10-02 के अनुसार भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31-5-01 में पटवारी के लिये निःशक्त जनों को आरक्षण मुहैया करवाये जाने हेतु कोई पद चिह्नित नहीं है। राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का नाम भारत सरकार के पद से भिन्न है या राज्य सरकार का कोई पद भारत सरकार के किसी भी विभाग में विद्यमान नहीं है तो ऐसे प्रकरण राज्य सरकार का समतुल्य पद परिलक्षित करने हेतु राजस्थान एम्प्लायमेन्ट आफ दी परसन्स विथ डिसएबेलिटिज नियम 2000 के नियम 5 के अधीन गठित समिति का मत है कि पटवारी के पदों पर निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नहीं किया जावें।

2. **भूतपूर्व सैनिकों के लिए :** राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 % पद आरक्षित है।
 (क) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
 (ख) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
 (ग) भूतपूर्व सैनिक :- (1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय अभ्यर्थी का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
 (2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्ह बना दे। उसे ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी नहीं हों, अच्छे चरित्र

3. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए : नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% पद आरक्षित है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और किकेट में उनसे संबंधित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :—
एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्र मण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्व विद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों, या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।
(भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् जिस वर्ग (SC/ST/OBC/SBC/GEN) का अभ्यर्थी उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा। इन आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।)
4. महिलाओं हेतु आरक्षित पदों के लिए : महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत पदों का आरक्षण अधिसूचना क्रमांक F-7 (2) DOP/ A-II/ 88/ Pt. I दिनांक 24.01.2011 के अनुसार दिया जायेगा।
स्पष्टीकरणः— किसी वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/पि0व0/वि0पि0व0) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
5. विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये :
(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-7(8)डीओपी/ए-2/ दि. 6-5-2010 के अनुसार राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये उपलब्ध आरक्षण के अतिरिक्त 1 प्रतिशत आरक्षण और देय हैं।
(2) कार्मिक (क-2)विभाग के आदेश क्रमांक प-7(8)कार्मिक/क-2/08 दिनांक 31-1-11 के निर्देशानुसार विज्ञापित पदों के 4 प्रतिशत पद विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये सुरक्षित रखे गये हैं।
6. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिये : कार्मिक (क-2)विभाग के क्रमांक प-7(8)कार्मिक/क-2/08 दिनांक 20-12-10 के निर्देशानुसार आर्थिक पिछड़ा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत पद विज्ञापित पदों के अतिरिक्त नोशनल रूप में पद रखे गये हैं।

नोटः—

- A. विवाहित महिलाओं के लिए : विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ी जाति का नॉनक्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- B. पिछड़ा वर्ग के लिए : राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- C. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जाती है तो मण्डल द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोत्तरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिए अलग से विज्ञापन/विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी।

2. योग्यताएं :-

- (1) शैक्षणिक :— (क) 10+2/ सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई हों।
(10+2/Senior Secondary School Examination Passed or any other equivalent examination, recognised by the Government.)
(ख) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।
- (2) स्वास्थ्य :— पटवारी के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि पटवारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिये चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (3) चरित्र :— सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह पटवारी के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण—पत्र उस विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी के जिसमें कि वह अन्तिम कक्षा में पद्धता था और इसी प्रकार के प्रमाण—पत्र दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन—पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के लिये हुए ना हों और प्रमाण—पत्र देने वाले उसके विश्वविद्यालय या कालेज या स्कूल से संबंधित नहीं हो और उसके रिश्तेदार नहीं हों।

3. आवेदन प्रक्रिया :-

- भर्ती हेतु आवेदन केवल Online Application form में लिये जायेंगे। यह आवेदन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से भरे जा सकेंगे। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र / हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र जिला / विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
 - परीक्षा शुल्क व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया से यथासमय सूचित किया जायेगा।
4. परीक्षा का माह, स्थान एवं योजना :— परीक्षा एक ही दिनांक को राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में आयोजित कराई जाएगी जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी।
परीक्षा राजस्थान राज्य के 33 जिला मुख्यालयों पर ली जाने की संभावना है।

आवेदक को परीक्षा केन्द्र का आवंटन उसी जिले में जहाँ से उसने आवेदन किया है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। जिला कलेक्टर कार्यालय/उपनिवेशन विभाग में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद परीक्षा केन्द्र एवं अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी। परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन जिला कलक्टर्स द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा, जिसे जिला कलक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा। इन पदों की परीक्षा वस्तुपरक (Objective Type) होगी।

6. आयु :-

दिनांक 1-1-2014 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिये और 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिये लेकिन :-

1. अधिकतम आयु सीमा में –
 - (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /पिछड़े वर्ग/विशेष पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की थी और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
 3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।
 4. जो व्यक्ति पटवारी के पद पर अस्थाई तौर से नियुक्त थे, उन्हें आयु की सीमा के भीतर समझा जाएगा यदि वे प्रथम बार नियुक्ति के समय आयु की सीमा में थे यद्यपि उन्होंने परीक्षा के लिये निश्चित की गई दिनांक को आयु सीमा पार कर ली हो और अगर वे प्रथम नियुक्ति के समय उसके योग्य थे, तो उन्हें दो अवसर प्रदान किये जायेंगे।
 5. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वार्ताविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है और यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु से ज्यादा नहीं हुई हो।
 6. राज्य सेवा में संस्थाई (Substantive) तौर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिये 42 वर्ष होगी।
 7. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 6 के प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्चतम आयु सीमा 2 वर्ष शिथिल करने योग्य होगी।
 8. पूर्वी अफ्रीका के केनिया, तंजानिया, युगांडा एवं जंजीबार देशों से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
 9. दिनांक 1-3-1963 को या उसके बाद 29-2-1977 तक बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपर बताई गई अधिकतम आयु 45 वर्ष तक शिथिल होगी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये यह शिथिलता 5 वर्ष तक और दी जायेगी।
 10. विधवाओं और विछिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- स्पष्टीकरण:-** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

7. परीक्षा योजना – राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अनुसार परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है:-

1. प्रतियोगी परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी।
2. परीक्षा की अवधि तीन घण्टे की होगी।
3. लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्प (multiple choice) प्रकार के प्रश्नों का होगा।
4. प्रश्न-पत्र का ऋणात्मक अंकन किया जायेगा।
5. परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। नीचे दिये गये विवरण अनुसार प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा :–

विषय का सनाम	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
सामान्य हिन्दी	50	100
गणित	50	100
सामान्य ज्ञान	50	100
Total	150	300

6. परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्कोप (Scope) मण्डल की वेबसाइट www.bor.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

8. अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :-

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकरणों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को सीधे ही भेजने चाहिये। जिला कलेक्टर कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो। जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

9. विवाह पंजीयन :-

शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

10. नियुक्ति के लिये अयोग्यता :-

1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
3. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।
4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :-

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा
5. मण्डल द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करे ।

11. आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण पत्र पात्रता जांच में प्रस्तुत करना होगा । अतः यह सुनिश्चित कर ले कि :-

- (अ) जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है ।
- (ब) पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमिलेयर/ नॉन क्रीमिलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं ।
- (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए जाति प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा ।
- (द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी वर्ग का माना जावेगा ।
- (य) पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/ माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो । पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
- (र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा । पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है ।

नोट :-

अनुचित साधनों की रोकथाम :- परीक्षार्थी को जिला कलेक्टर/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/मण्डल द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध जिला कलेक्टर/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं मण्डल द्वारा कार्यवाही की जा सकती है ।

12. वेतन : 5200—20200, ग्रेड पे – 1900 रुपये

जिला कलेक्टर कार्यालयों से पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु चयनित आशार्थियों की सूची राजस्व मण्डल को उपलब्ध कराये जाने पर भू.आ. नियम 281 के अनुसार 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिलवाया जावेगा ।

13. परिवीक्षा अवधि : दो वर्ष (चयनित अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर नियुक्ति दी जाकर प्रारम्भ के 2 वर्षों में प्रावेशनरी ट्रेनी के रूप में एक मुश्ति निर्धारित मासिक देय राशि रुपये 6100 पर रखा जायेगा । उसे पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रवेश दिया जायेगा व पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर व दो वर्ष सन्तोषप्रद कार्य करने पर नियमित वेतन श्रृंखला में नियमानुसार वेतन देय होगा)

14. पेंशन :- राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । ऐसे किसी आशार्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियम पारिश्रमिक सदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा ।

15. राजस्व मण्डल की वेबसाइट:-

उम्मीदवार मण्डल की वेबसाइट <http://www.bor.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(प्रिया भार्गव)
सचिव (भू.आ.)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

विज्ञापन संख्या : राम/भूआ/परीक्षा/प-247/13/२५७८-५/७

दिनांक : १९-२-२०१३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
4. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त (राजस्थान)
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विज्ञापन (केवल एक बार) राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
8. मुख्य सम्पादक, सचिवालय संदेश, कमरा नम्बर - 85-बी, सचिवालय, जयपुर को विज्ञापन निशुल्क प्रकाशित करने हेतु।

सचिव (भू.आ.)

वेबसाइट

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/भूआ/परीक्षा/प-247/13/ २५२५

दिनांक 19-2-2013

प्रवेश के लिये सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा-2013 की जारी विज्ञाप्ति के क्रम में सूचना

राज्य में राजस्व विभाग के पटवारियों एवं उपनिवेशन विभाग में पटवारियों के 2271 पदों पर भर्ती हेतु सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा – 2013 की विज्ञाप्ति दिनांक 19-2-2013 को राजस्व मण्डल द्वारा जारी कर दी गई है। आवेदन पत्र भरने हेतु प्रक्रिया व विज्ञापित पदों का वर्गवार विवरण शीघ्र ही जारी किया जा रहा है।

(आशुतोष गुप्ता)

अति. निबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।